बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि ८ अक्तूबर, १९६३।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि ८ अक्तूबर १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर।

Short-Notice Questions and Answers.

सभा नियमावली के नियम ८९ के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना।

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, तृतीय विधान-सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी-अप्रील), १९६३ के शेष २२३६ तारांकित प्रश्नों में से ९२ तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूं।

SETTLEMENT OF LAND.

26. Shri **JOGENDRA MAHTO** : Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that a plot of land under possession of the Patna Municipal Corporation bearing survey plot no. 1119, Ward no. 1, Survey Sheet no. 51, near eastern end of the Rajya Transport Bus Stand, on Ashoka Raj Path, is under dispute with the Revenue Department since 1955 ; if so, what are the claims of the Revenue Department over this plot of land and why the matter has not been settled up till now in spite of several reminders of the Patna Municipal Corporation ;

(2) whether it is a fact that the Patna Municipal Corporation (vide letter no. 2709, dated the 7th August, 1963) forwarded to the Revenue Department a petition of a political sufferer for settlement of this plot on monthly rental basis, pending decision of the claim over the land ; if so, will the Revenue Department be pleased to permit the Patna Municipal Corporation to settle this land with the petitioner pending decision of the matter without any further delay ?

मकान मालिक को किराये की चुकती।

२७८३। श्री राम अशीश सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शाहाबाद जिला स्थित दिनारा स्टेट औषधालय के प्रांतीयकरण के समय इस विभाग को सूचना नहीं थी कि दिनारा औषधालय किराये के मकान में चलता था; यदि हां, तो क्या प्रांतीयकरण के समय मकान के किराये के लिए अनुदान की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है;

(२) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार की उपरोक्त अज्ञानता का दोष किस कर्मचारी पर है और इस दोष के लिए उस कर्मचारी पर क्या कार्रवाई हुई है;

(३) मकान मालिक को पूरा बकाया भाड़ा सूद के साथ सरकार शीघ्र कबतक देने को सोचती है?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) वस्तुस्थिति ऐसी है कि प्रायः ९८ प्रतिशत जिला पर्षदीय औषधालय, जिनका प्रांतीयकरण किया गया है, उनका अपना भवन है। इसीलिए प्रांतीयकरण के समय मकान-भाड़ा की स्वीकृति नहीं दी जाती है। बाद में, जब इसकी सूचना प्राप्त होती है तब किराया भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है। दिनारा औषधालय के साथ भी ऐसी ही बात है।

अतः इसके लिए किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(३) मकान-भाड़ा के भुगतान हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है। ऐसी आशा है कि इसका भुगतान शीघ्र ही हो जाएगा।

छः बेड का चालू किया जाना।

२७८४। श्री मुनिश्वर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मोहिउद्दीननगर बाजार में एक राजकीय अस्पताल है;

(२) क्या यह बात सही है कि सरकार ने छः बेड की मंजूरी दी है; यदि हां, तो कबतक इसे चालू करना चाहती है?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रांतीयकरण के समय छः नन-डायटेड बेड्स की स्वीकृति दी गयी थी, जिसकी व्यवस्था स्थानाभाव के कारण नहीं हो सकी है।

नये भवन के निर्माण की योजना एवं प्राक्कलन तैयार हो चुका है, परन्तु राज्य की आर्थिक संकट के कारण निकट भविष्य में इसकी कोई सम्भावना नहीं है।